HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14476/2025
CNR: RJHC020965862025 | URN: CRLMB / 27913U / 2025

Pawan Sharma S/o Mr. Ramkumar Sharma, Aged About 39 Years, Presently Residing At 707, Paris Point, Bani Park, Collectorate Circle, Jaipur, Rajasthan

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

Connected With

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 14477/2025
CNR: RJHC020965902025 | URN: CRLMB / 27914U / 2025

Sushila Gupta W/o Late Mr. Radhe Shyam Gupta, Aged About 82 Years, R/o 1-E-19, Shiv Shakti Colony, Shastri Nagar, Jaipur, Presently Residing At Gram Shrirampura, Kanota, Jaipur-Rajasthan

----Petitioner

Versus

State of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Maharishi, Adv. with Mr. Devanshu Saini, Adv. Mr. Naresh Sejvani, Adv. through V.C. Ms. Vaishnavi Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Manvendra Singh Choudhary, PP Mr. Gopal Singh Bareth, Adv.

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

1.	**Arguments Concluded On:**	**19/08/2026**
2.	**Order Reserved On:**	**19/08/2026**
3.	**Full Order/Operative Part Pronounced:**	**Full Order**
4.	**Pronounced On:**	**21/08/2026**

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से अपनी अग्रिम जमानत हेतु पृथक–पृथक जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, पुलिस थाना मुरलीपुरा, जयपुर (पश्चिम) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 365/2023 अपराध अंतर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471 व 120बी भारतीय दण्ड संहिता में गिरफ्तारी की आशंका के फलस्वरूप अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने की प्रार्थना के साथ पेश किये गये हैं।

चूंकि उक्त दोनों जमानत आवेदन एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट से संबंधित हैं, अतः उक्त दोनों जमानत आवेदनों का निस्तारण एक साथ एक ही आदेश के माध्यम से किया जा रहा है।

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्हें मिथ्या रूप से आलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थीया/अभियुक्ता सुशीला 82 वर्षीय वृद्ध महिला है, वह मुख्य अभियुक्त सत्यनारायण गुप्ता की माता है, इस आधार पर उसे श्रीनाथ कृपा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड का निदेशक बना रखा है। श्रीनाथ कृपा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड के किसी भी कार्य में प्रार्थीया/अभियुक्ता की सक्रिय भूमिका नहीं रही है। प्रार्थीया/अभियुक्ता अनपढ़ महिला है, वह अपने पुत्र सत्यनारायण गुप्ता के कहने के आधार पर कागजों पर हस्ताक्षर कर देती है,

इस प्रकरण में परिवादिया श्रीमती चंचल चौधरी ने यह तथ्य बताये हैं कि परिवादिया ने उक्त श्रीनाथ कृपा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड कंपनी के दो शेयरधारकों राजेन्द्र गजराज व सुरेन्द्र गजराज उनके हिस्से के शेयर्स जरिये इकरारनामा दिनांक 12.05.2022 को क्रय करके संपूर्ण विक्रय प्रतिफल का भुगतान शेयर होल्डर्स को कर दिया था और उक्त शेयर्स रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अपने नाम ट्रांसफर करवाने हेतु खाली फार्म संख्या SH 4 पर हस्ताक्षर करके सत्यनारायण गुप्ता को सौंप दिया तथा प्रार्थीया/अभियुक्ता सुशीला व अपने कर्मचारी प्रार्थी/अभियुक्त पवन शर्मा के साथ षड्यंत्र करके सत्यनारायण गुप्ता ने उक्त शेयर्स अपने नाम करवा लिए तथा परिवादिया से सत्यनारायण गुप्ता ने 52,89,900/– रुपये का भुगतान प्राप्त कर लिया। प्रार्थी/अभियुक्त पवन शर्मा मुख्य अभियुक्त सत्यनारायण गुप्ता का कर्मचारी है और उसके निर्देश पर वह कार्य करता है। इस कारण उसने इकरारनामे पर गवाह के रूप में केवल हस्ताक्षर किये हैं व कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त के नाम ना तो शेयर्स ट्रांसफर हुए हैं ना ही किसी प्रकार की कोई राशि उसके द्वारा ली गई है। उक्त आरोप सह अभियुक्त सत्यनारायण गुप्ता पर हैं, जिसका जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 254/2025 अंतर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. विद्वान अपर जिला न्यायाधीश क्रम संख्या 02, जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2025 के माध्यम से स्वीकार किया जा चुका है। पुलिस ने प्रकरण में अनुसंधान कर यह पाया है कि सत्यनारायण गुप्ता, सुशीला देवी व पवन शर्मा द्वारा किसी भी दस्तावेज की कूटरचना व फर्जकारी नहीं की गई है, पुलिस ने उनके विरुद्ध कोई अपराध प्रमाणित नहीं पाया और मामला सिविल प्रकृति का होने पर अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। उसके पश्चात् परिवादिया ने अपने प्रभाव से उक्त अंतिम रिपोर्ट में पुनः अनुसंधान का आदेश पारित करवा लिया जिसमें बिना

किसी न्यायसंगत कारण के प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया जा रहा है, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से अनुसंधान पूर्ण हो गया है, उनसे कोई बरामदगी शेष नहीं है, अकारण गिरफ्तार किया गया तो उनके विधिक अधिकारों का हनन होगा, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

परिवादी के विद्वान अभिभाषक व विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थीया/अभियुक्ता सुशीला श्रीनाथ कृपा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड की निदेशक है, उक्त कंपनी के समस्त कार्यों के लिए वह उत्तरदायी है। कंपनी के दो अन्य शेयरधारकों राजेन्द्र गजराज व सुरेन्द्र गजराज ने उनके हिस्से के शेयर्स जरिये इकरारनामा दिनांक 12.05.2022 को विक्रय किये तथा परिवादिया ने खाली फार्म SH 4 पर हस्ताक्षर करके सत्यनारायण गुप्ता को सौंप दिया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने सहअभियुक्त सत्यनारायण गुप्ता के साथ षड्यंत्र करके उक्त शेयर्स सत्यनारायण गुप्ता के नाम ट्रांसफर करवा लिए। पुलिस ने अनुसंधान में उनके विरुद्ध आरोप प्रमाणित पाए हैं, अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को देखते हुए उक्त अग्रिम जमानत आवेदन खारिज किये जाने का निवेदन किया।

मैंने उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान मामले में प्रार्थीया/अभियुक्ता सुशीला 82 वर्षीय वृद्ध महिला है, उसे श्रीनाथ कृपा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड में निदेशक होना बताया गया है, उक्त कंपनी में वह निदेशक के रूप में सक्रिय भागीदारी रखती हो, इस संबंध में अनुसंधान के दौरान कोई तथ्य सामने नहीं आया है। अन्य अभियुक्त सत्यनारायण गुप्ता जिसके नाम पर परिवादिया के शेयर्स ट्रांसफर करने के

अपराध का आरोप है, प्रार्थीया/अभियुक्ता सुशीला उसकी माता है। कंपनी के दो अन्य शेयरधारकों राजेन्द्र गजराज व सुरेन्द्र गजराज ने जो शेयर्स विक्रय किये, उन्हें प्रार्थीगण/अभियुक्तगण ने मुख्य अभियुक्त सत्यनारायण गुप्ता के नाम कर ट्रांसफर करवा लिए हों, यह तथ्य इस स्तर पर स्पष्ट नहीं हुआ है। प्रार्थी/अभियुक्त पवन शर्मा मुख्य अभियुक्त सत्यनारायण गुप्ता का कर्मचारी है, उस पर केवल मात्र यह आरोप है कि उसने इकरारनामे पर साक्षी के रूप में हस्ताक्षर किये हैं। उसने अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षड्यंत्र कर शेयर्स की राशि प्राप्त की हो या कोई धोखाधड़ी की हो, यह इस स्तर पर प्रथमदृष्टया स्पष्ट नहीं है। प्रार्थीया/अभियुक्ता सुशीला व प्रार्थी/अभियुक्त पवन शर्मा को पुलिस द्वारा धारा 94/179 बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत नोटिस जारी करके दिनांक 06.02.2026 को अनुसंधान कर पूछताछ नोट बना लिए गए हैं, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से कोई अनुसंधान शेष हो या कोई बरामदगी किया जाना शेष हो, यह तथ्य पुलिस द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट व केस डायरी में नहीं आया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होना बताया गया है।

अतः प्रस्तुत तर्कों, मामले के तथ्यों को देखते हुए, प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाने योग्य है।

परिणामतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **1. सुशीला पत्नी स्व. श्री राधेध्याम गुप्ता 2. पवन शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा** की ओर से प्रस्तुत उक्त अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार किये जाते हैं तथा संबंधित अनुसंधान अधिकारी/थानाधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि उनके यहां पंजीबद्ध उपरोक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थीगण को गिरफ्तार किये जाने की सूरत में यदि प्रत्येक प्रार्थी उनके संतोषप्रद एक–एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र

एवं पचास–पचास हजार रूपये राशि की दो जमानतें प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दें तो उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर आजाद कर दिया जाए :

1. कि प्रार्थीगण पुलिस अधिकारी द्वारा पूछे जाने वाले परिप्रश्नों का उत्तर देने के लिये जैसे और जब अपेक्षित हो, उपलब्ध होंगे।
2. कि प्रार्थीगण इस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिये मनाने के वास्ते प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से उसे कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे।
3. कि प्रार्थीगण बिना न्यायालय की पूर्व अनुमति के भारत नहीं छोड़ेंगे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

MANISH SAINI/Res.